निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 आषाढ़ 1937 (श0)

(सं0 पटना 842) पटना, बुधवार, 22 जुलाई 2015

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (निबंधन)

———————

अधिसूचनाएं

21 जुलाई 2015

सं० 10/मु. संशोधन–37/2015–**3385**––भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 (अधिनियम सं0–II, 1899) की धारा–75 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार–राज्यपाल बिहार स्टाम्प नियमावली, 1954 का संशोधन हेतु निम्नलिखित नियमावली विनिर्मित करते हैं: –

बिहार स्टाम्प (संशोधन) नियमावली, 2015

1. नाम, विस्तार एवं प्रारंभ– (1) यह नियमावली बिहार स्टाम्प (संशोधन) नियमावली, 2015 कही जाएगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राज्य सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

2. बिहार स्टाम्प नियमावली, 1954 के नियम 3 के उप नियम (2) के द्वितीय परन्तुक के बाद निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, यथा: –

''परन्तु यह भी कि निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ऐसी शर्त्तों के अधीन जिसे अधिरोपित करना उचित समझे, लिखतों पर मुद्रांक के भुगतान, जो या तो वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित समेकित चालान के माध्यम से बैंकों में नकद/चेक या डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग के माध्यम से विनिर्दिष्ट पेमेन्ट गेटवे द्वारा भुगतान किए गए हों, का पृष्ठांकन करने हेतु राज्य के किसी या सभी निबंधन पदाधिकारियों को प्राधिकृत कर सकते हैं और पृष्ठांकन के उपरान्त ऐसा दस्तावेज पृष्ठांकन में वर्णित राशि के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन मुद्रांकित समझा जाएगा।''

3. बिहार स्टाम्प नियमावली 1954 के नियम 11(क) के उप नियम (i) एवं (ii) में प्रयुक्त शब्द ''फ्रैंकिंग मशीन/टैक्समीटर'' के उपरान्त शब्द ''/अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों'' जोड़े जाएँगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

राहुल सिंह,

सरकार के सचिव।

21 जुलाई 2015

सं० 10/मु.संशोधन–37/2015–**3385**—उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राहुल सिंह,
सरकार के सचिव।

The 21st July 2015

No. 10/Mu. Amendment-37-2015-**3385**—In exercise of the power conferred by Section-75 of the Indian Stamp Act 1899 (Act II of 1899), the Government of Bihar makes the following rules to amend the Bihar Stamp Rules, 1954: -

Bihar Stamp (Amendment) Rules, 2015

1. Title, extent and commencement: -

(1) This Rule shall be called the Bihar Stamp (Amendment) Rules, 2015.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force from the date of notification in the official gazette.

2. After second proviso to sub-rule (2) of Rule 3 of the Bihar Stamp Rules, 1954 the following proviso shall be added, namely: -

" Provided also that the Department of Registration, Excise & Prohibition may, subject to such conditions as it thinks proper to impose, authorize any or all registering officers of the State to make endorsement, of the stamp duty paid either by cash/cheque in specified banks through consolidated challan approved by Finance Department or by debit card/credit card/net banking through specified payment gateway on the instrument and such instrument after endorsement shall be deemed to be stamped under sub-section (1) of Section-10 of the Indian Stamp Act, 1899 for the amount mentioned in the endorsement."

3. After the words "Franking machine/Tax meter" used in sub-rule(i) and (ii) of Rule-11 (a) of the Bihar Stamp Rules 1954 the words "/other electronic devices" shall be added.

By order of the Governor of Bihar,
RAHUL SINGH.
Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 842-571+500-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in